(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 02/2020

बउनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारॉ (राज.)

(प्रार्थी)

बनाम

नन्दकिशोर पुत्र प्रभुलाल जाति गाडरी निवासी रिझडी जागीर तहसील छबड़ा

(अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– पेरोकार सरकार (प्रार्थी)

2– श्री जयेश सक्सेना अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 14.09.2021

राजस्थान सरकार जर्ये :– प्रार्थी तहसीलदार छबडा ने रेफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा, 82 आर.टी.एक्ट 1956 के तहत अप्रार्थी के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रिझडी जागीर तहसील छबड़ा की भूमि खसरा नम्बर 130/1 रकबा 2 बीघा भूमि किस्म गैर मुमकीन नाला मुताबिक रेकार्ड खतौनी बन्दोवस्त सम्वत् 2012–2031 में खाता सरकार में सिवायचक दर्ज रेकार्ड थी। उपरोक्त वर्णित भूमि भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व 88 (2) के अनुसार सरकार के स्वामित्व की हीं भूमि है तथा ऐसी भूमियों का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में किसी भी प्रकार से आवंटन/नियमन करना वर्जित है।

उक्त ग्राम रिझडी जागीर की भूमि खसरा नम्बर 130/1 रकबा 2 बीघा भूमि दिनांक 12.09.1998 को उपखण्ड अधिकारी, छबडा द्वारा श्री नन्दकिशोर पुत्र प्रभूलाल जाति गाडरी निवासी रिझडी जागीर तहसील छबडा के हक में नियमन/आवंटन की गयी हैं तथा वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 मे हैसियत खातेदार अप्रार्थी श्री नन्दकिशोर पुत्र प्रभूलाल जाति गाडरी निवासी रिझडी जागीर तहसील छबडा के नाम दर्ज है।

उपरोक्त आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत अवैधानिक है तथा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 से एसी भूमि की पुनः पूर्ववत स्थिति में दर्ज किया जाना है। अतः रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध है कि उपरोक्त आवंटन को खारिज फरमावे। ताकि भूमि को पूर्व की स्थिति अनुसार दर्ज किया जा सके।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर रेफरेंस दिनांक 06.10.2020 को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई और जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 15:28:59 IST
Reason: SelfAttested

बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने कहा कि जो भूमि किस्म गैर मुमकीन नाला अप्रार्थी श्री नन्दकिशोर पुत्र प्रभूलाल जाति गाडरी निवासी रिझडी जागीर तहसील छबडा को आवंटन की गई है। वह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन योग्य नहीं है। रेकार्ड व मौके पर विवादित भूमि गैर मुमकीन नाला अवस्थित है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 से ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना है। अतः अप्रार्थी को किया गया आवंटन आदेश निरस्त फरमाया जावें। ताकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की पालना की जा सके।

अप्रार्थी के अभिभाषक ने बहस के दौरान प्रस्तुत जवाब के कथनों को दौहराते हुये कहा कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा द्वारा मिथ्या आधारों पर अप्रार्थी नन्दकिशोर के विरूद्व उक्त कार्यवाही प्रस्तुत की गई है। अप्रार्थी ने किसी भी गैर मुमकीन नाला को किसी भी प्रकार से अपने नाम नियमन नहीं करवाया है। बल्कि अप्रार्थी आज भी अपने खातेदारी की आराजियात वाके माल रीझडी जागीर तहसील छबडा जिला बारॉ पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। उसका किसी भी सरकारी भूमि पर कब्जा नही है। अप्रार्थी गरीब काश्तकार है तथा काश्तकारी का कार्य कर अपने परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है। अप्रार्थी के विरूद्व तहसीलदार, छबडा द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र को निरस्त फरमाया जावे।

मेरे द्वारा उभयपक्ष की बहस को सुना गया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया जाकर मनन/विश्लेषण किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का भी अवलोकन किया। अप्रार्थी को नियमन/आवंटन की गई भूमि ग्राम रिझडी जागीर तहसील छबडा जिसके खसरा नम्बर 130/1 रकबा 2 बीघा है। जो कि सम्वत् 2052–2055 मे भी राजस्व रिकार्ड मे गैर मुमकीन नाला था, वह भी विद्यमान है। वह आवंटन/नियमन योग्य नहीं है। उक्त रकबा अप्रार्थी को किस्म गैर मुमकीन नाला का आवंटन/नियमन किया गया है, जो विधि अनुरूप न होने से प्रारम्भतः हीं शून्य है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 से ऐसी आराजी को पुनः पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश माननीय उच्च न्यायालय बैंच जोधपुर ने दिये है।

परिणामस्वरूप राजस्थान सरकार जर्ये प्रार्थी तहसीलदार छबडा द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य माना जाकर ग्राम रिझडी जागीर तहसील छबडा जिला बारॉ (राज.) के खसरा नम्बर 130/1 रकबा 2 बीघा भूमि किस्म गैर–मुमकीन नाला अप्रार्थी को नियमन/आवंटन की गई है। जिसको निरस्त किये जाने हेतु आर.टी.एक्ट 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेंस प्रार्थना पत्र मूल ही बाद अनुशंषा माननीय न्यायालय निबन्धक, राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो। तहसीलदार छबडा को निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर, राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क स्थापित कर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर मे रेफरेंस प्रस्तुत करवाकर प्रकरण में सावचेत होकर पैरवी करना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को मेरे द्वारा मेरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 16:28:59 IST
Reason: SelfAttested

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ